



पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार

कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज।

पत्रांक 1259 / दिनांक 09.08.2016

प्रेषक,

भोला प्रसाद, भा.व.से.

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज।

1278
2C



सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)

बिहार, पटना।

विषय:—

सीवान जिलान्तर्गत ग्राम—हैबतपुर, खाता नं0 79, प्लॉट संख्या 424 पथ निर्माण विभाग (पी0डब्लु0डी0) के आन्दर—रघुनाथपुर पथ के किनारे रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 19980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग:—

भवदीय पत्रांक 475 दिनांक 15.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सम्बन्ध में सूचित करना है कि सीवान जिलान्तर्गत आन्दर—रघुनाथपुर के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। जिसमें भवदीय द्वारा त्रुटियों पाई गई हैं।

अतः उक्त के आलोक निम्नवत त्रुटियों का निराकरण कर इस पत्र के साथ संलग्न कर पुनः प्रस्ताव (छः प्रतियों में) भेजा जा रहा है।

1. प्रवेश एवं निकास हेतु तैयार किए गए गणना प्रतिवेदन पर प्रयोक्ता एजेंसी का हस्ताक्षर अंकित करा दिया गया है।
2. प्रस्तावित स्थल का फोटो ग्राफ प्रयोक्ता एजेंसी एवं भवदीय का हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
3. सीवान जिला पदाधिकारी के कार्यालय से निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 (FRA 2006) प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. संशोधित स्थल निरीक्षण टिप्पणी संलग्न है।

अनुलग्नक—यथोक्त

विश्वासभाजन,

09/08/16

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज